<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 123/2022

1 राजकुमार आयु 54 वर्ष पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2 रामलाल आयु 42 वर्ष पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3 शारदा आयु 47 वर्ष पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– शारदा पत्नी दयानन्द मेघवाल निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
4 सजना आयु 62 पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– सजना पत्नी मूलचन्द जाति मेघवाल निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
5 सन्तरा आयु 58 पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– संतरा पत्नी हरसाराम जाति मेघवाल निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
6 तारा आयु 56 वर्ष पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– तारा पत्नी लीलुराम जाति मेघवाल निवासी हेतमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7 जगदीश प्रसाद आयु 32 वर्ष पुत्र सांवरमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
8 बसन्ती आयु 23 वर्ष पुत्री स्व. सांवरमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– बसन्ती पत्नी प्रदीप मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
9 सन्तरा आयु 62 वर्ष पत्नी स्व. सांवरमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10 साक्षी आयु 25 वर्ष पुत्री स्व. सांवरमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– साक्षी पत्नी बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी बलवन्तपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट

बनाम

1 अजीत सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र स्व. गणपतराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

2 शिवदत आयु 37 वर्ष पुत्र स्व. घीसाराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

3 रामकोरी आयु 65 वर्ष पुत्री स्व. घीसाराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

4 रतनी देवी आयु 66 वर्ष पत्नी स्व. ऊंकारमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

5 हरिप्रसाद आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. ऊंकारमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6 दीपचन्द आयु 46 वर्ष पुत्र स्व. ऊंकारमल जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

7 धर्मसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. ऊंकारमल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

8 उमेश कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

9 गायत्री आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– गायत्री पत्नी सुशील कुमार मेघवाल निवासी आलमास तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

10 अरविन्द कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. छोटुराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

11 महावीर प्रसाद आयु 62 वर्ष पुत्र स्व. छोटुराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12 विनोद कुमार आयु 62 वर्ष पत्नी स्व. बहादुर सिंह जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

13 नवीन कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र स्व. बहादुर जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

14 वन्दना उर्फ मीनू आयु 28 वर्ष पुत्री स्व. बहादुर सिंह जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

15 सिलोचना देवी आयु 50 वर्ष पत्नी स्व. विमल कुमार जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

16 जगदीप कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र स्व. विमल कुमार जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

17 विजय कुमार आयु 25 वर्ष पुत्र स्व. विमल कुमार जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

18 मंजु आयु 50 वर्ष पुत्री स्व. छोटुराम पत्नी श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता ग्राम दोरादास तहसील व जिला झुन्झुनू

19 विमला आयु 45 वर्ष पुत्री स्व. छोटुराम जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) वर्तमान पता– विमला पत्नी हरिराम मेघवाल निवासी कसेरू का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

20 सतीश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. बहादुर सिंह जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

21 पवन कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र स्व. विमल कुमार जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

22 रवि कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

23 मनभरी आयु 60 वर्ष पत्नी स्व. रिछपाल जाति मेघवाल निवासी भीमसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

24 शुभकरण आयु 52 वर्ष पुत्र स्व. रिछपाल जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

25 कमला आयु 42 वर्ष पत्नी स्व. रिछपाल जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

26 शांति आयु 40 वर्ष पुत्री स्व. रिछपाल जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

27 राजेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र उमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

28 विनोद कुमार आयु 50 वर्ष पत्नी उमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

29 प्रियंका आयु 25 वर्ष पुत्री स्व. उमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

30 नितेश आयु 22 वर्ष पुत्र स्व. उमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

31 अनिता आयु 40 वर्ष पुत्री उमेश कुमार जाति मेघवाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

32 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील बनाराजगी आदेश अदालत मातहत उपखण्ड
अधिकारी मलसीसर बमुकदमा उनवानी अजीत सिंह
वगैरह बनाम राजकुमार वगैरह मु.नं. 35/2022 प्रा.पत्र
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जाब्ता दिवानी
व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5

उपस्थिति :

1. श्री फैयाज अहमद, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रसीद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 35/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबात विवादित भूमि खसरा नम्बर पुराने 501 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 876 रकबा 6.25 हैक्टेयर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय स्थगन जारी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के खिलाफ अपीलान्टस ने एक दावा घोषणार्थ, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में उनवानी राजकुमार आदि बनाम अजीत सिंह आदि पेश कर रखा है जिसमें दिनांक 30.05.2022 को उक्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है उक्त अनुसार एक साथ दो दावे एक ही भूमि के सम्बन्ध में समान पक्षकारों के मध्य चलना न्याय निर्णय में अनुचित देरी एवं कानूनी पेचीदिगिया पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिले स्टे है या दोनो दावे कन्सोलिडेट होना कानूनी प्रावधानों के तहत न्यायोचित एवं आवश्यक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस/अप्रार्थीगण पर अभी तक उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 35/2022 एवं दावे की कोई विधिक तलबी तामील नहीं हुई है केवल मात्र आदेश 39 नियम 3 के तहत प्रावधानों की पालना में रजिस्टर्ड-डाक से आदेश दिनांक 30.05.2022 की फोटो प्रतिया एंव प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त हुई है जिससे उक्त प्रार्थना-पत्र व दावे में अभी तक कोई जवाबदेही नहीं हो सकी है जो पूरी तामील व नकले प्राप्त होने पर की जा सकेगी। सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई है जिससे अंतरिम आदेश स्वयंमेव निरस्त है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का कोई प्रथम दृष्टिया केस नहीं है सुविधा संतुलन भी उनके किसी भी प्रकार से पक्ष में नहीं है ना ही उन्हे अपूर्णनीय क्षति पहुंचने की सम्भावना है जबकि उक्त तीनो बाते अपीलान्टस के पक्ष में है इसलिए आदेश जेरे अपील अंतरिम आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा तुरन्त प्रभाव से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा है धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। इसका निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इस स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन आदेश अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा है धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लंबित है। इसका निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)